

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 941 सन 2021

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र दानाराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लिछमण पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
3. मुकेश पुत्र स्प पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
4. ममता पुत्री पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
5. सुखी पुत्री पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
6. सुन्दर देवी पत्नी स्व दानाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
7. गुडडी पुत्री दानाराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 202/195 की कुल 7.5870हैक् भूमि में से 1/9 हिस्सा , व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.4140हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है दानाराम पुत्र जिसुख का देहान्त हो चुका है दानाराम पुत्र जिसुख के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दानाराम वल्द जीसुख जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रशासन गांव के संग अभियान में वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जीसुख के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो दानाराम पुत्र जीसुख के नाम दर्ज भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ने निवेदन किया की उन्होने ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमें आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 202/195 की कुल 7.5870हैक् भूमि में से 1/9 हिस्सा , व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.4140हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है दानाराम पुत्र जिसुख का देहान्त हो चुका है दानाराम पुत्र जिसुख के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 हकदार है वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रों के अनुसार वादी के कथनों की पुष्टि होती है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 202/195 की कुल 7.5870हैक् भूमि में से 1/9 हिस्सा दानाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/27 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/27 हिस्सा, व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.4140हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया

अधिवक्ता
बोहर

जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिका (नगरपालिका)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...-रामसरा.



सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश पुत्र दानाराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लिछमण पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
3. मुकेश पुत्र स्प पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
4. ममता पुत्री पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
5. सुखी पुत्री पप्पूराम नाबालिग जरिये माता कमला पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
6. सुन्दर देवी पत्नी स्व दानाराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
7. गुडडी पुत्री दानाराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 941 सन 2021 निर्णय दिनांक- 08.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 202/195 की कुल 7.5870हैक् भूमि में से 1/9 हिस्सा दानाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/27 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/27 हिस्सा, व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.4140हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दानाराम पुत्र जिसुख के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....रामसरा...